दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

महत्वपूर्ण एवं खास

संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 29 को

रायगढ़। जिले में यातायात व्यवस्था तथा सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सांसद लोकसक्षा क्षेत्र रायगढ़ की अध्यक्षता में 29 जुलाई 2020 को दोपहर 1 बजे से कलेक्टोरेट के सृजन सभाकक्ष में आहूत की गई है।

सड़क दुर्घटना में 4 की आकस्मिक मृत्यु पर वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत

रायगढ़। रायगढ़ अनुविभाग अंतर्गत 4 लोगों की सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु होने पर एसडीएम रायगढ़ द्वारा तहसीलदार रायगढ़ एवं पुसौर की अनुशंसा पर मृतक के वारिसानों को 25-25 हजार रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील पुसौर ग्राम-कोड़ातराई के विजय कुमार बरेठ की 19 मई 2019 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती यशोवंती को 25 हजार रुपये, ग्राम-बनखेता पो.कोतरलिया के कृष्ण कुमार प्रजापति की 25 अक्टूबर 2019 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके पिता मोहन लाल प्रजापति को 25 हजार रुपये, ग्राम-महराजपुर तहसील-बरमकेला के सुशील की 9 मई 2020 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमशीला चौहान को 25 हजार रुपये तथा ग्राम पुसौर के प्रमोद गुप्ता की 30 जनवरी 2020 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती गोपिनी गुप्ता को 25 हजार रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

खरसिया अनुविभाग में जप्त अवैध उत्खनित रेत की 5 अगस्त को होगी नीलामी

रायगढ़। खरसिया अनुविभाग अंतर्गत रेत के अवैध उत्खन्न एवं परिवहन प्रकरण में जप्त रेत की नीलामी 5 अगस्त 2020 को पूर्वान्ह 11 बजे से किया जाएगा। जो भी इच्छुक व्यक्ति नीलामी में सम्मिलित होना चाहते है वह अमानत राशि 25 हजार रुपये को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खरसिया जिला-रायगढ़ या अन्य प्रस्तावित नीलामी स्थल पर नीलामी तिथि को उपस्थित होकर नियमानुसार जमा कर बोली लगा सकते है। उल्लेखनीय है कि नीलामी के तहत ग्राम-पामगढ़ में 900 घन मीटर, ग्राम-आड़पथरा में 150 घन मीटर, ग्राम-दर्रामुड़ा के तीन स्थानों पर कुल 330 घन मीटर तथा ग्राम पंचायत जबलपुर में 600 घन मीटर रेत की नीलामी की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति उक्त स्थानों पर जाकर रेत का अवलोकन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खरसिया जिला-रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

पढ़ई हमर पारा-लैलूंगा के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हुई शुरुआत

रायगढ़। पहुँच विहीन छात्रों को पढ़ई तुंहर दुआर योजना से जोडऩे के लिए शिक्षा विभाग रायगढ़ और जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत हैं। मोबाईल नेटवर्क स्मार्ट फोन की अनुपलब्धता तथा सुदूर इलाकों में रहने वाले छात्रों को अन्य वैकल्पिक तरीकों से पढ़ाई करवायी जा रही है। ऐसे ही वैकल्पिक माध्यम पढ़ई हमर पारा के जरिये रायगढ़ जिले के लैलूंगा ब्लॉक के सुदूर ग्रामीण अंचल में शिक्षकों द्वारा इस कार्य की शुरुआत की जा चुकी है। लैलूंगा ब्लॉक के विभिन्न संकुलों के शिक्षक ऐसे सुदूर ग्रामीण मोहल्लों में जहाँ नेट की सुविधा नहीं है वहां पहुंचकर गांव के ही किसी बरामदे अथवा किसी अन्य स्थलों का चयन कर सामाजिक दूरी व अन्य शासकीय दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए बच्चों को %पढ़ई हमर पारा' के जरिये पढ़ा रहे हैं। लैलूंगा ब्लॉक में पढ़ई हमर पारा के जरिये प्राथमिक शाला दर्रीपारा संकुल केन्द्र मुड़ापारा के शिक्षक शशि भूषण यादव सहित लैलूंगा ब्लॉक के ही प्राथमिक शाला कोडामाई संकुल भकुर्रा संकुल केंद्र पाकर प्राथमिक शाला कुपाकानी, संकुल केन्द्र पोतरा विकासखंड लैलूंगा आदि में शिक्षकों द्वारा पहुँच विहीन लक्षित बच्चों तक ऑफलाइन शिक्षा पहुँचायी जा रही है। पढ़ई तुंहर दुआर की जिले में हुई समीक्षा बैठक में जिला पंचायत सीईओ सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों को तमाम पहुँच विहीन बच्चों को ऑफलाइन माध्यम से शिक्षा से जोडऩे के लिए तमाम संख्यात्मक आंकड़े जमा करते हुए योजना बनाकर चर्चा पत्र में उल्लेखित व निर्देशित शिक्षा के सभी 8 वैकल्पिक माध्यमों को स्थिति अनुरूप अपनाने हेतु निर्देशित किया गया है।

कलेक्टर ने अस्पताल परिसर के ओपीडी एवं दवा वितरण केन्द्रों पर शेड बनाने के दिये निर्देश

कलेक्टर भीम सिंह ने किया किरोड़ीमल अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण, दिया दिशा-निर्देश

रायगढ़ । कलेक्टर श्री भीम सिंह ने शहर के किरोड़ीमल अस्पताल जो कि वर्तमान में रायगढ़ मेडिकल कालेज से संबद्ध है का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी और दवा वितरण केन्द्र पर बाहर धूप में मरीजों तथा उनके परिजनों को लाइन में खड़े होने पर अस्पताल अधीक्षक और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को शेड निर्माण करने के निर्देश दिये ताकि बाहर से आने वाले मरीजों को धूप तथा बरसात से बचाव हो सके, उन्होंने अस्पताल के ओपीडी में मरीजों के बैठने के लिए निर्धारित दूरी (सोशल डिस्टेसिंग) का पालन करते हुए पर्याप्त कुर्सियों की व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देशित किया।

कलेक्टर श्री सिंह ने अस्पताल के दवा वितरण केन्द्र में मरीजों को उपलब्ध करायी जाने वाली दवाईयों का जायजा लिया और और डॉक्टरों द्वारा सुझाई गई समस्त दवाईयां मरीजों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने रेडक्रास द्वारा संचालित दवाई दुकान का भी अवलोकन किया और जेनेरिक दवाईयां वितरित करने के निर्देश दिये। उन्होंने अस्पताल अधीक्षक डॉ.मोहन कुमार मिंज को निर्देशित किया कि दवा वितरण केन्द्र पर जो दवाईयां उपलब्ध नहीं है उसे रेडक्रास द्वारा संचालित दुकान से प्राप्त कर मरीजों को उपलब्ध करावे। कलेक्टर श्री सिंह ने अस्पताल के स्त्री रोग विभाग और पुरूष तथा महिला वार्डो का निरीक्षण किया तथा नवजात बच्चों के वार्ड में जाकर वहां का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों तथा उनके परिजनों से बात करते हुए अस्पताल में उपलब्ध शौचालय वहां के पानी की उपलब्धता एवं मरीजों को प्रदान किये जाने वाले भोजन उसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त किया। मरीजों के भर्ती वाले वार्ड में खराब तथा फटी बेडशीट को बदलकर साफ-सुथरी बेडशीट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री सिंह ने महिलाओं को प्रसव उपरांत प्रदान की जाने वाली राशि वितरण का ब्योरा लेते हुए प्रसव के लिये रायगढ़ शहर के बाहर से आने वाली महिलाओं और उनके परिजनों को यह जानकारी पहले से बताने को कहा कि प्रसव उपरांत प्राप्त होने वाली निर्धारित राशि प्राप्त करें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली महिला और उनके परिजनों को दुबारा न आना पड़े। उन्होंने लंबित भुगतान के विलंब का कारण भी पूछा, कलेक्टर श्री सिंह ने अस्पताल प्रबंधन को जन्म-मृत्यु संबंधी रिकार्ड अद्यतन रखने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री सिंह ने अस्पताल के मरीजों के लिए तैयार होने वाले भोजन के किचन (रसोई घर)का निरीक्षण किया तथा निर्देशित किया कि मरीजों के लिये पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने अस्पताल परिसर का भ्रमण कर साफ-सफाई व्यवस्था दुरूस्त रखने के निर्देश दिये। अस्पताल परिसर में संचालित सार्वजनिक शौचालय का मुआयना कर निर्धारित स्थानों पर साबुन रखने के लिए भी कहा और अस्पताल परिसर में दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों को व्यवस्थित ढंग से निर्धारित पार्किग स्थल पर रखे जाने के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार मिंज और सहायक अधीक्षण डॉ.उरांव ने अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में कलेक्टर को अवगत कराया।

निर्देश: होम क्वारेंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों की आकस्मिक जांच करेंगे

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम तथा इससे बचाव के उपायों के लिये होम क्वारेंटीन में रहने वाले व्यक्तियों की आकस्मिक जांच की जिम्मेवारी जिला स्तर के अधिकारियों को सौंपा है। उन्होंने आज सीईओ जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, अपर कलेक्टर श्री आर.ए.कुरूवंशी, निगम आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय, सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी तथा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों, आदिवासी विकास विभाग और उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ कलेक्टोरट स्थित सभाकक्ष में बैठक लेकर जिले में कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की।

कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि वर्तमान में रायगढ़ जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सीमित है परंतु कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुये रायगढ़ और जिले के अन्य क्षेत्रों में एक हजार मरीजों की व्यवस्था हेतु भवन चिन्हांकित करने के निर्देश दिये। उन्होंने विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जिले के सभी एसडीएम और उद्योग विभाग के अधिकारियों को अपने क्षेत्र के उद्योगों में जाकर वहां बनाये गये क्वारेंटीन सेंटरों की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उद्योगों में क्वारेंटीन सेंटरों में रहने वाले व्यक्ति कामन शौचालय का उपयोग नहीं कर सकते अथवा उनको उद्योगों के अन्य श्रमिकों के साथ मेलजोल तथा भोजन नहीं करना है तथा उद्योगों में कितने श्रमिक बाहर से कब आये है? कितने अन्य राज्यों से पास लेकर आये तथा कितने केवल सूचना देकर आये हुये है? इसकी विस्तृत जानकारी उद्योग विभाग के अधिकारी तैयार कर प्रशासन को सौंपेगे। साथ ही उद्योग प्रबंधकों को आगामी एक माह तक राज्य के बाहर से कोई मजदूर नहीं लाने के निर्देश देंगे।

कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के सभी एसडीएम को अन्य राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले मार्गो पर निगरानी रखने और व्यक्तियों की समुचित जांच तथा जिले में आने का उचित कारण जानकर ही प्रवेश करने देने के निर्देश दिये। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को होम क्वारेंटीन में रहने वाले व्यक्तियों के निवास स्थान का निरीक्षण करने और घरों में पर्याप्त स्थान, सुरक्षित कमरे की व्यवस्था नहीं होने पर व्यक्तियों को शासन द्वारा बनाये गये क्वारेंटीन सेंटरों में रखने के निर्देश दिये। उन्होंने राज्य के बाहर जाने वाले व्यक्तियों को पास जारी करते समय यह जानकारी देने को कहा कि अन्य राज्य से वापस लौटने पर उसे 14 दिन होम क्वारेंटीन में रहना पड़ेगा तथा सैम्पल जांच भी कराना पड़ेगा।

कारखाना प्रबंधकों के लिये जारी किया दिशा-निर्देश

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने जिले के समस्त उद्योग एवं कारखाना प्रबंधकों को कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम को ध्यान में रखते हुये आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये है। उन्होंने कहा है कि उद्योगों में कार्यरत कोई भी कर्मचारी अवकाश पर रायगढ़ जिले से अन्य राज्य जाता है तो वापस आने पर उन्हें अपने उद्योग केन्द्र में बनाये गये क्वारेंटीन सेंटर में क्वारेंटीन होना अनिवार्य है। अन्य राज्य से श्रमिकों के अनुमति लेकर रायगढ़ जिले में आने पर भी क्वारेंटीन में रहना अनिवार्य होगा। रायगढ़ जिले में स्थित उद्योग परिसर/ औद्योगिक संस्थानों में क्वारेंटीन सेंटर बनाया जाना अनिवार्य होगा और श्रमिक क्वार्टर में रहने वाले श्रमिक एवं क्वारेंटीन सेंटर में रहने वाले श्रमिकों के उपयोग हेतु पृथक-पृथक बाथरूम एवं टायलेट की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते पाये पर संबंधित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। कलेक्टर श्री सिंह ने उद्योग विभाग के मुख्य महाप्रबंधक को उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये है।

गौठानों के स्व-सहायता समूहों को वर्मी कम्पोस्ट निर्माण का प्रशिक्षण प्रदाय किये जाने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त

रायगढ़। कलेक्टर श्री भीम सिंह ने प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिकों को जिले के नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत में स्थापित 22 गौठानों के स्व-सहायता समूह को वर्मी कम्पोस्ट निर्माण का प्रशिक्षण प्रदाय किये जाने तथा वर्मी कम्पोस्ट निर्माण में आने वाली समस्याओं का समाधान करने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

उल्लेखनीय है संचालनालय छत्तीसगढ़ कृषि विकास विभाग द्वारा गोधन न्याय योजना अंतर्गत जिले के नगर पंचायत एवं नगर निगम क्षेत्र में सुराजी गांव योजना अंतर्गत स्थापित गौठानों में स्व-सहायता समूह के सदस्यों को गोबर क्रय, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण एवं प्रशिक्षण, वर्मी कम्पोस्ट के पैकेजिंग, विक्रय एवं विपणन प्रबंधन की निगरानी एवं मार्गदर्शन प्रशिक्षण दिये जाने का निर्देश दिया गया है।

ज्ञात हो कि नगर निगम रायगढ़ के चयनित 4 गौठानों में डॉ.ए.के.सिंह/वरिष्ठ वैज्ञानिक (पौध रोग विज्ञान) तथा सुश्री पुष्पलता तिर्की /सहा.प्राध्यापक (उद्यानिकी)को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसी तरह नगर पालिका खरसिया के 2 गौठानों में डॉ.पी.एम.पराये/प्राध्यापक (सस्य विज्ञान), नगर पालिका सारंगढ़ के 2 गौठानो में श्री के.के.पैंकरा/वैज्ञानिक (सस्य विज्ञान), नगर पंचायत घरघोड़ा के 2 गौठानों में डॉ.एस.के.पैंकरा/सहा.प्राध्यापक(कृषि विस्तार),नगर पंचायत धरमजयगढ़ के 2 गौठानों में डॉ.जी.आर.राठिया/सहा.प्राध्यापक (मृदा विज्ञान),नगर पंचायत बरमकेला के 2 गौठानों में डॉ.सावरगावकर एस.एल./वैज्ञानिक (आनु.एवं पादप प्रजनन), नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर के 2 गौठाना में डॉ. (श्रीमती) सरिता साहू /वैज्ञानिक (उद्यानिकी), नगर पंचायत सरिया के 2 गौठानों में श्री के.डी.महंत/वैज्ञानिक (मृदा विज्ञान), नगर पंचायत लैलूंगा के 2 गौठानों में डॉ.एन.सी.बंजारा/वैज्ञानिक (उद्यानिकी विज्ञान)तथा नगर पंचायत पुसौर के 2 गौठानों में डॉ.बृजेश पटेल/सहा.प्राध्यापक (एल.पी.एम.) को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

मछली व्यवसाय कर सफल उद्यमी बना सन्यासी

सफलता की कहानी मत्स्य विभाग ने अनुदान में दी थी शुरूआती पूंजी

रायगढ़। ऊंची सोच और युवा जोश के बलबूते तमनार विकासखण्ड के गांव के सन्यासी सिदार ने उद्यमिता की ऐसी राह पकड़ी है जहां से वह अपने सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं।

सन्यासी सिदार 2015 ने बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर परिवार को आर्थिक संबल देने के लिये खुद का व्यवसाय करने सोची तो मछली पालन का आइडिया दिमाग में आया। गांव में अपने खेतों के पास 80 डिसमिल में तालाब तैयार करवायी और मत्स्य विभाग से संपर्क किया जहां उसे नीलक्रांति योजना के तहत तालाब निर्माण के लिए 1 लाख 26 हजार और मछली के बीज और दाने के लिय 27 हजार सहित कुल 1 लाख 53 हजार रुपये का अनुदान मिला। यह उनके व्यवसाय के लिय शुरूआती पूंजी थी। साथ ही साथ उसे मत्स्याखेट के लिये एक नग महाजाल, मछली विक्रय हेतु आइस बाक्स व मछलियों को बीमारी से बचाने के लिस सिफेक्स प्रदान किया गया। मिली राशि से सन्यासी ने मेजर शार्प, पंगेशियस के साथ रोहू और कतला जैसी मछली पालन की शुरूआत की। व्यवसाय ने धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ी और आज की स्थिति में सन्यासी औसतन 3 क्विंटल मछली निकालकर स्थानीय बाजारों में बेचकर लगभग 3 लाख रुपये सालाना कमा रहे है।

उनसे बात करने पर वह एक प्रोफेशनल की तरह कहते है कि अभी व्यवसाय को बहुत आगे बढ़ाना है इसलिए होने वाले मुनाफे का बड़ा हिस्सा वापस व्यवसाय में लगा देता हूं। मेरा व्यवसाय का आसपास के क्षेत्र में अच्छा प्रचार-प्रसार भी हो चुका है। डिमांड भी बढ़ गयी है और उसके मुताबिक सप्लाई के लिए अपने तालाब के साथ 2 एकड़ का एक अन्य तालाब लीज पर लिया हूं। इसके साथ मुर्गी पालन का व्यवसाय भी शुरू किया है उसमें भी प्रतिमाह लगभग 15 हजार रुपये आय निकल रही है। भविष्य की योजनाओं के संबंध में सन्यासी कहते है कि मछली पालन व मुर्गी पालन के साथ कृषि में भी नवाचार को बढ़ाते हुये नगदी फसल उगाने का सोचा है जिसके लिए बोर खनन करवा चुका हूं आगामी वर्ष में एक पिकअप लेने की योजना भी है।

सन्यासी कहते है कि यदि सच्ची लगन हो तो शासकीय योजनाओं की सहायता से व्यक्ति मेहनत कर जीवन में अच्छी प्रगति कर सकता है। मैने 18 वर्ष की उम्र में शुरूआत की थी आज 23 वर्ष की उम्र में मछली पालन व मुर्गी पालन को सफल व्यवसाय में तब्दील कर चुका हूं। मेरे गांव तथा आसपास के युवा मुझसे अब अपना व्यवसाय चालू करने के लिये सलाह लेते है यह मेरे लिये काफी बड़ी बात है। इसके लिए मैं शासन-प्रशासन का सदैव आभारी रहूंगा।

जिले के सभी किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो-कलेक्टर

रायगढ़ । कलेक्टर श्री भीम सिंह ने आज कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में बीज और खाद वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि जिले में खरीफ फसल (धान) की बोनी 92 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है और खाद का वितरण भी 85 प्रतिशत पूरा हो गया है और किसानों को वितरित अमानक बीज बदलकर दूसरा बीज का वितरण किया जा चुका है। सिंह ने जिन संस्थानों से अमानक बीज प्राप्त हुये है, विभाग के उच्च अधिकारियों को उन संस्थानों के विरूद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव भेजने को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जिले में अधिकतर क्षेत्रों में खरीफ फसल की बोनी पूर्ण हो चुकी है। कृषि विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसानों को उनकी मांग के अनुरूप समय पर यूरिया तथा अन्य खाद उपलब्ध होता रहे। श्री सिंह ने यह भी निर्देशित किया कि जिले के छोटे-बड़े सभी किसानों को समानता से खाद वितरित किया जाये और ऐसी व्यवस्था रहे कि जिले के किसानों में असंतोष न हो। बैठक में कृषि विभाग तथा बीज, खाद वितरण से संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480